DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

20 February, 2024

न्यायालय की छुट्टियाँ

***संदर्भ**: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने पिछले दिनों अदालती छुट्टियों को लेकर की गई आलोचना के बारे में बात की थी।*

➢ न्यायालय की छुट्टियों पर बहस:

- अदालत की छुट्टियों का मुद्दा सदैव से ही बहस का विषय रहा है, जिसमें न्याय चाहने वालों की सुविधा के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।
- वर्ष 2022 में तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में विस्तारित अदालती छुट्टियों के संबंध में जनता की भावना से अवगत कराया।
- रिजिजू ने छुट्टियों की अवधि के संबंध में सदन से न्यायपालिका को राहत देने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

➢ न्यायालय की छुट्टियों की अवधि:

- सर्वोच्च न्यायालय वार्षिक रूप से 193 कार्य दिवसों के लिए कार्य करता है, जबकि उच्च न्यायालय लगभग 210 दिनों के लिए कार्य करता है, और ट्रायल कोर्ट 245 दिनों के लिए कार्य करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय सात सप्ताह की गर्मी की छुट्टी रखता है, दशहरा और दिवाली के लिए एक-एक सप्ताह और दिसंबर में यहाँ दो सप्ताह की छुट्टी होती है।
- औपनिवेशिक प्रथाओं में निहित इस अवकाश अवधि को न्यायिक कार्यवाही और लंबित मामले पर इसके प्रभाव के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है।

➢ छुट्टियों के दौरान महत्वपूर्ण मामलों का निपटान:

- छुट्टियों के बावजूद, न्यायाधीश दो या तीन न्यायाधीशों वाली अवकाश पीठ में अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करते हैं।
- जमानत और बेदखली जैसे मामलों को अक्सर अवकाश पीठों के समक्ष प्राथमिकता सूची में रखा जाता है।
- संवैधानिक चुनौतियों और महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर सुनवाई सहित उल्लेखनीय मामलों की सुनवाई कई बार अदालत की छुट्टियों के दौरान ही की गई है।

➢ अवकाश पीठ/बेंच

- न्यायालय की छुट्टियों के दौरान अत्यावश्यक मामलों को निपटाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ की स्थापना की जाती है।
- सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक वर्ष में दो बार विस्तारित छुट्टियां मनाता है, अर्थात् गर्मी और सर्दी की छुट्टियां, लेकिन अत्यावश्यक मामलों को निपटाने के लिए यह तकनीकी रूप से चालू रहता है।
- मुकदमेबाज छुट्टियों के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में जाने की क्षमता रखते हैं, और अवकाश पीठ यह तय करती है कि क्या कोई मामला तत्काल ध्यान देने योग्य "तत्काल/अत्यावश्यक मामला" के रूप में योग्य है या नहीं।
- हालांकि "अत्यावश्यक मामला" क्या होता है, इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन अदालत आम तौर पर छुट्टियों के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, निषेध और यथा वारंटी से संबंधित रिट पर विचार करती है।
- अवकाश पीठ संबंधी नियम 6 मुख्य न्यायाधीश को छुट्टियों के दौरान अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक न्यायाधीशों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, और यदि आवश्यक हो तो एक डिवीजन कोर्ट का गठन किया जा सकता है।
- इस संदर्भ में उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट भी अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर अत्यावश्यक मामलों को संभालने के लिए अवकाश पीठों की स्थापना करते हैं।

➢ न्यायालय अवकाश प्रणाली में सुधार के प्रयास:

- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने छुट्टियों की अवधि कम करने और अदालतों को पूरे वर्ष खुला रखने के लिए सुधारों का प्रस्ताव रखा है।
- सुझावों में वर्ष की शुरुआत में न्यायाधीशों के कार्यक्रम की मांग करना और उसके अनुसार अदालती कैलेंडर की योजना बनाना भी शामिल था।
- हालाँकि, विभिन्न कारणों से इन प्रस्तावों को अब तक लागू नहीं किया जा सका है।

➢ अन्य देशों से तुलना:

- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में वैश्विक स्तर पर मुकदमों की संख्या सबसे अधिक है और यह वार्षिक तौर पर सर्वाधिक फैसले सुनाता है।
- इसके विपरीत, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट कम मामलों की सुनवाई करता है और हर महीने सीमित दिनों के लिए मौखिक बहस के लिए बैठता है।
- इसी प्रकार, यूके की अदालतों में पूरे वर्ष में बैठक के दिनों की एक निर्धारित सूची होती है, जिसमें उच्च न्यायालयों और अपील न्यायालयों के लिए विशिष्ट सत्र होते हैं।

वित्तीय व्यय के लिए मंत्रालयों की रिपोर्टिंग सीमा में वृद्धि

***संदर्भ:** लगभग दो दशकों के बाद, सरकार संसद की लोक लेखा समिति (PAC) की मंजूरी के साथ 'नई सेवा' और 'सेवा के नए साधन' के लिए वित्तीय सीमाओं को संशोधित करने के लिए तैयार है।*

➢ लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा अनुमोदन:

- PAC ने मंत्रालयों/विभागों द्वारा नई नीति-संबंधित व्यय के लिए रिपोर्टिंग सीमा को संशोधित करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- नई नीति-संबंधी व्यय के लिए रिपोर्टिंग सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये से ऊपर कर दिया गया है, लेकिन इसे 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं किया जा सकता है।
- 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने के लिए संसद की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।

➢ वित्तीय सीमाओं में संशोधन:

- यह आज़ादी के बाद से चौथा संशोधन है और इसका उद्देश्य संसद में प्रस्तुत अनुदान की अनुपूरक मांगों की आवृत्ति को कम करना है।
- अंतिम संशोधन 2006 में हुआ था, और कम वित्तीय सीमा के कारण मंत्रालयों/विभागों से पूरक प्रस्तावों में वृद्धि हुई, जिससे परियोजना निष्पादन में देरी हुई।

➢ व्यय के प्रकार:

- 'नई सेवा (NS)' एक ऐसे नए नीतिगत निर्णय से उत्पन्न होने वाले व्यय को संदर्भित करती है जो पहले संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- 'सेवा का नया साधन (NIS)' मौजूदा नीति के महत्वपूर्ण विस्तार से अपेक्षाकृत बड़े व्यय को संदर्भित करता है।

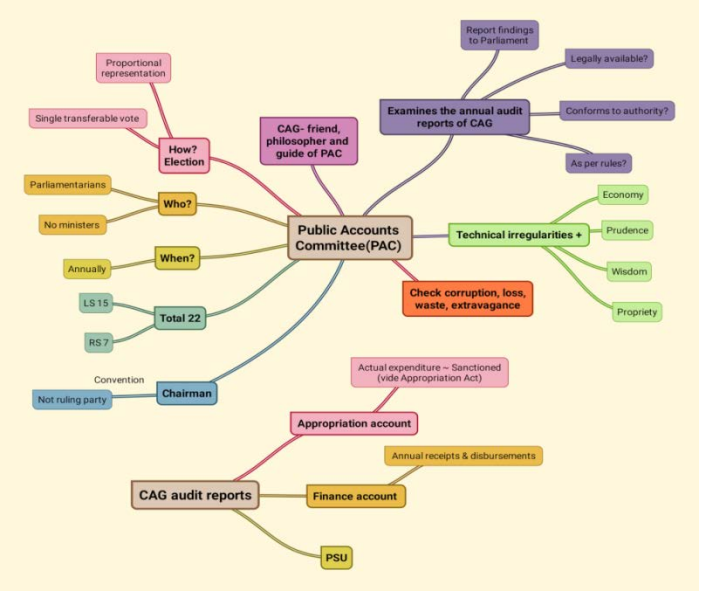

➢ संशोधन का उद्देश्य:

- प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मंत्रालयों को बजटीय आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- उक्त संशोधन की आवश्यकता पूरक प्रस्तावों में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है जिससे परियोजना निष्पादन में देरी होती है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

➢ **अपेक्षित वृद्धि और बजट आकार:**

- वार्षिक रूप से 6-7% की सीमा में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की उम्मीद के साथ, अगले दशक में बजट का आकार काफी बढ़ने का अनुमान है।
- इससे बढ़े हुए व्यय को समायोजित करने के लिए वित्तीय सीमाओं में ऊपर की ओर संशोधन की आवश्यकता है।

➢ **परामर्श और परिवर्तन:**

- यह 50 वर्षों में चौथा परिवर्तन है और यह व्यापक विचार-विमर्श के बाद हो सका है।
- इन संशोधनों का उद्देश्य सरकारी खर्च प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और PAC के लिए जांच प्रक्रिया को सरल बनाना है।

➢ **प्रक्रिया का सरलीकरण:**

- वित्त मंत्रालय का लक्ष्य मंत्रालयों द्वारा इसे आसानी से अपनाने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- इससे निर्णय लेने में तेजी आने और योजना कार्यान्वयन की गति में सुधार होने की उम्मीद है।

एशिया और प्रशांत SDG प्रगति रिपोर्ट 2024

संदर्भ: *UNESCAP की एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया-प्रशांत क्षेत्र वर्तमान में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के वर्ष 2030 के लक्ष्य से 32 वर्ष पीछे है।*

➢ **एशिया-प्रशांत क्षेत्र में SDG की प्रगति**

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिदेशित 17 सतत विकास लक्ष्यों में से कोई भी वर्तमान में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ट्रैक पर नहीं है।
- इस क्षेत्र को अपनी वर्तमान गति से वर्ष 2030 तक आवश्यक प्रगति का केवल एक-तिहाई प्राप्त कर पाने का अनुमान लगाया जा रहा है।
- सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में यह विलंब लगभग 32 वर्ष होने का अनुमान है। अतः इस लक्ष्य को वर्ष 2062 तक बढ़ा दिया गया है।

➢ **जलवायु कार्रवाई पर चिंताएँ (SDG 13)**

- सतत विकास लक्ष्य 13 की दिशा में प्रगति के मामले में; विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई संबंधित विषयों पर गंभीर रूप से पीछे है।
- सतत विकास लक्ष्य 13 के तहत सभी लक्ष्य रुकी हुई या विपरीत प्रगति दिखाते हैं, अपने 20 उद्देश्यों के साथ सतत विकास लक्ष्य 14 वर्ष 2015 बेसलाइन की तुलना में गिरावट दिखाते हैं।
- यह रिपोर्ट जलवायु संबंधी आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जलवायु कार्रवाई को राष्ट्रीय नीतियों में एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

➢ **आंकड़ों की उपलब्धता में चुनौतियाँ:**

- इस क्षेत्र में 169 सतत विकास लक्ष्यों में से लगभग 67% वर्तमान में डेटा अंतराल के कारण मापने योग्य नहीं हैं।
- जबकि SDG के लिए आंकड़ों की उपलब्धता 2017 के बाद से दोगुनी हो गई है, विशेष रूप से जलवायु-संबंधी संकेतकों में महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है।
- यह अंतर अपर्याप्त आंकड़ों की प्रगति की निगरानी में बाधा डालता है, सतत विकास लक्ष्य 13 के तहत लगभग 62.5% संकेतकों में आंकड़ों की कमी दिखती है।

➢ **प्रमुख लक्ष्यों पर प्रभाव:**

- भूख (SDG 2), स्वास्थ्य (SDG 3), स्वच्छ पानी (SDG 6), किफायती ऊर्जा (SDG 7), और टिकाऊ शहर (SDG 11) जैसे प्रमुख लक्ष्यों पर प्रगति अपर्याप्त रही है।
- ये लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हैं, जो क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा, आजीविका और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
- जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाएं एसडीजी लक्ष्यों की उपलब्धि को खतरे में डालती हैं और अगले दशक में गंभीर वैश्विक जोखिमों के रूप में पहचानी जाती हैं।

➢ **कार्रवाई के लिए सिफ़ारिशें:**

- रिपोर्ट में जलवायु चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए टिकाऊ बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया गया है।
- सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में क्षेत्र की प्रगति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास से संबंधित लक्ष्यों को प्राथमिकता देने पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

Figure 1.1 Will Asia and the Pacific close the gap to achieve the SDGs?

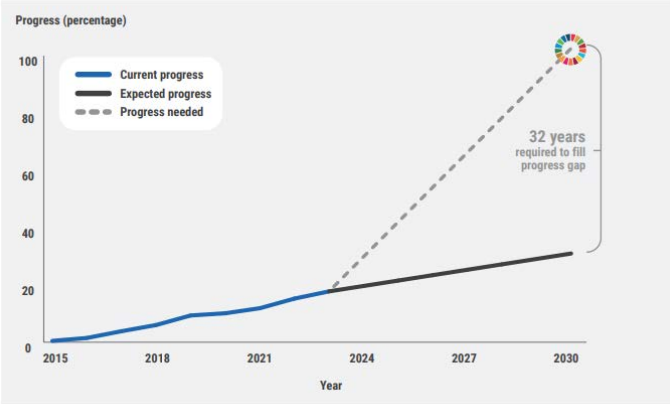

Note: For each year, the percentage represents the average progress recorded towards all 17 SDGs.

NEWS IN BETWEEN THE LINES

आईसीसीसीएडी

हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और विकास केंद्र (ICCCAD) ने बताया कि 2000 से 2019 के बीच बांग्लादेश में 185 चरम मौसम घटनाएं हुईं, जिसने इसे जलवायु परिवर्तन के प्रति दुनिया का सातवां सबसे अधिक संवेदनशील देश बना दिया।

ICCCAD के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और विकास केंद्र (ICCCAD) एक शोध और क्षमता निर्माण संगठन है जो बांग्लादेश में जलवायु परिवर्तन और विकास पर केंद्रित है।
- इसकी स्थापना 2009 में बांग्लादेश सेंटर फॉर एडवांसड स्टडीज, इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश (IUB) और IIED (यूके) के बीच सहयोग से हुई थी।
- यह ढाका में स्वतंत्र विश्वविद्यालय, बांग्लादेश (IUB) परिसर में स्थित है।
- इसका उद्देश्य स्थानीय विशेषज्ञता, ज्ञान और अनुसंधान को एकीकृत करके जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों के लिए अनुकूलन प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
- सलीमुल हक 2009 से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और विकास केंद्र (ICCCAD) के निदेशक हैं।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

20 February, 2024

श्री कल्कि धाम मंदिर

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अचौदा कंबोह में श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी।

श्री कल्कि धाम मंदिर के बारे में:

- भविष्यवाणी के अनुसार, कल्कि अवतार का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल में होना बताया गया है।
- मंदिर का निर्माण आचार्य प्रमोद कृष्णम के नेतृत्व में श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।
- यह मंदिर भगवान विष्णु के दसवें अवतार माने जाने वाले भगवान कल्कि को समर्पित है।
- 'अग्नि पुराण' में वर्णित, कल्कि अवतार का चित्रण धनुष और बाण धारण किए घुड़सवार के रूप में किया जाएगा।
- यह मंदिर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला "धाम" है जहां किसी देवता के अवतार से पहले ही मंदिर स्थापित किया जा रहा है।

ग्रीन एनाकोंडा

वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि ग्रीन एनाकोंडा जिसे पहले एक ही प्रजाति माना जाता था वास्तव में दो आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रजातियों से मिलकर बना है।

ग्रीन एनाकोंडा के बारे में:

- ग्रीन एनाकोंडा (यूनेक्टेस मुरिनस) अमेज़न और ओरिनोको बेसिन में पाया जाने वाला एक सांप है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप है सबसे बड़ी मादा सांप की लंबाई सात मीटर से अधिक और वजन 250 किलोग्राम से अधिक होता है।
- यह जलीय जीवन के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है इसके सिर के ऊपर सांस लेने और पानी में डूबे रहने के दौरान देखने के लिए नाक और आंखें स्थित हैं।
- यह गहरे हरे रंग का होता है जिसके पीछे काले धब्बे होते हैं और किनारों पर पीले केंद्र वाले काले धब्बे होते हैं।
- यह छिपकर शिकार करने वाला एक शिकारी है जो कैपीबारा, काइमैन और हिरण सहित शिकार पर घात लगाकर अपने शक्तिशाली शरीर से उन्हें मार देने की क्षमता के लिए जाना जाता है।

मिमास

हाल ही में, नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान की छवियों से पता चलता है कि शनि के चंद्रमा मीमास की परत के नीचे महासागर हो सकता है।

मीमास के बारे में:

- मीमास, जिसे सैटर्न I के नाम से भी जाना जाता है, शनि का एक प्राकृतिक उपग्रह है और इसके प्रमुख चंद्रमाओं में सबसे छोटा और अंतरतम है।
- इसकी भारी गड्ढों वाली सतह स्टार वार्स के डेथ स्टार से मिलती जुलती है।
- इसकी औसत त्रिज्या 198.2 किलोमीटर और औसत व्यास 396.4 किलोमीटर है।
- इसमें एक गड्ढा है जो इसके पूरे व्यास का एक तिहाई है।
- इसकी खोज 1789 में अंग्रेजी खगोलशास्त्री विलियम हर्शेल ने की थी और इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के गिगेंटेस के नाम पर रखा गया था।
- यह अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल है, लेकिन यह टाइटन की तरह हमारे सौर मंडल के वास्तव में बड़े चंद्रमाओं में से एक नहीं है।
- शोधकर्ताओं का मानना है कि महासागर अपेक्षाकृत नवीन है, जिसका निर्माण 2 मिलियन से 25 मिलियन वर्ष पहले हुआ है।

सुर्खियों में स्थल

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने सेलुलर जेल का दौरा किया तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में नागरिक अभिनंदन में भाग लिया।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (राजधानी: पोर्ट ब्लेयर)

अवस्थिति : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में स्थित है।

भौगोलिक सीमाएँ:

- इन द्वीपों की सीमा पूर्व में अंडमान सागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से लगती है।
- यह अंडमान सागर द्वारा थाईलैंड और म्यांमार से अलग किया गया है।

भौतिक विशेषताएं:

- द्वीपों को 10°N चैनल द्वारा अलग किया गया है, जो दक्षिण में लिटिल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अराकान पर्वत का जलमग्न विस्तार माना जाता है।
- अंडमान द्वीप समूह में उत्तर, मध्य और दक्षिण द्वीप प्रमुख हैं, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक (737 मीटर) सबसे ऊंची चोटी है।
- हाल ही में, **रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप** कर दिया गया है।

POINTS TO PONDER

- हाल ही में सुर्खियों में रही पंडाराम भूमि किस राज्य में स्थित है? - **लक्षद्वीप**
- ओडिशा की किस झील में समुद्री एम्फीपॉड की एक नई खोजी गई प्रजाति पाई गई थी? - **चिल्का झील**
- 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ था? - **चंडीगढ़**
- भारत ने ओपन-सोर्स डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? - **कोलंबिया**
- विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस किस विशिष्ट दिन मनाया जाता है? - **17 फरवरी**

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com